हुक्म		अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4/1/22	[illegible] / [illegible] / [illegible] पर बाहर / [illegible] 1/1/22 को [illegible]	
11/1/22	अपी. कार्यी उप। अपमर मामला न्यायालय मे एक माह अपमरी पत्रावली पेश करने सम्मन तामील। सि. AD सम्मन तामील पेश 3/1/2023 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
3/1/23	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थीगण अपमरन। पत्रावली अपमित। 3 बार आवाजे लगवाई गई परन्तु अनुपस्थित। बाद दोपहर पत्रावली पुनः आवाजे लगवाई गई परन्तु अनुपस्थित। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद दो माह पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया जाय।	
	उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	